पीपुल्स समाचार www.peoplessamachar.in
झाबुआ-आलीराजपुर-मंदसौर-नीमच-खंडवा-खरगोन
गुरुवार, 26 सितंबर 2024 04

न्यूज ब्रीफ

मध्याह्न भोजन में परोसी जा रही है सामुदायिक पोषण वाटिका की सब्जियां

नीमच। मनरेगा योजना के तहत जिले के प्रत्येक उपयंत्री के सेक्टर में एक-एक सामुदायिक पोषण वाटिका तैयार की जा रही है। यह कार्य मनरेगा से किया जा रहा है। इसके तहत एक हेक्टेयर जमीन पर फलदार पौधारोपण एवं सब्जियों का रोपण किया गया है। जनपद पंचायत मनासा की रावतपुरा में ग्राम पंचायत के पास सामुदायिक पोषण वाटिका विकसित की गई है। इस पोषण वाटिका में भिंडी, लौकी, बैंगन, तुरई, गिलकी, मिर्च और धनिया का रोपण किया गया है। अब इस सामुदायिक पोषण वाटिका में सब्जियां आने लगी हैं। ये सब्जियां शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय रावतपुरा और आंगनबाड़ी केंद्र रावतपुरा में मध्याह्न भोजन एवं पोषण आहार तैयार करने वाले वैष्णवी स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों को पोषण आहार, भोजन में ताजी सब्जियों के रूप में परोसी जा रही है। इसकी शुरुआत ग्राम पंचायत द्वारा समूह के सदस्यों को ताजी सब्जियां उपलब्ध कराकर की गई है। पोषण वाटिका में उत्पादित सब्जियों से विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन में ताजी सब्जियां मिलने लगी हैं। मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों के लिए रुचिकर बन गया है।

रासेयो का 55वां स्थापना दिवस मनाया

बड़वानी। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉ. सुनीता भायल ने रोसेयो का 55वां स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. एन.एल. गुप्ता ने कहा कि रोसेयो के स्वयंसेवक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। रोसेयो के शिविर की दिनचर्या को जो व्यक्ति अपना लेता है वह जीवन में उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है। पूर्व कार्यक्रम अधिकारी डॉ. स्नेहलता मुझाल्दा ने संबोधित किया। इस अवसर पर आईक्यूएससी को-ऑर्डिनेटर डॉ. जगदीश मुजाल्दे, डॉ. इन्दु डावर, प्रो. रेखा बिसेन, डॉ. पदमा आर्य, डॉ. राकेश ठाकरे, डॉ. सुरसिंह जामौद, प्रो. अंशुमन चौहान, प्रो. पवन कुमार सिंह, रासेयो की छात्राएं नम्रता गेहलोत, शिवानी काग, नंदिता काग, प्रगति पाटीदार, हिमांशी पाटीदार सहित महाविद्यालयीन स्टॉफ व छात्राएं उपस्थित रहे।

आड़ाखेड़ा में आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर

खंडवा। खालवा जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत आड़ाखेड़ा में जिले के महामारी रोग विशेषज्ञों की टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया । जिसमें महामारी विशेषज्ञ डॉ योगेश शर्मा एवं समस्त खंडवा और खालवा की स्वास्य विभाग की टीम के द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया शिविर में लगभग 175 मरीजो का स्वास्य परीक्षण किया गया। गांव में फैल रही बीमारियों के संबंध में लगभग 27 सैंपल मरीजो के लिए गए एवं ग्रामीणों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में श्री शर्मा व उनकी टीम द्वारा जानकारी दी गई । सभी डॉक्टर्स एवं पूरी टीम का ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव व आशा कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। उक्त कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों द्वारा जिले की महामारी रोग विशेषज्ञों की टीम का आभार प्रदर्शित किया गया।

कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर जेल

खरगोन। संपत्ति कुर्की आदेश का पालन नहीं करने पर न्यायालय ने दोषी को एक वर्ष की जेल की सजा से दंडित किया है। पैरवीकर्ता अधिकारी सुनयना चौपड़ा ने बताया कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 में लंबित व्यवहार प्रवर्तन प्रकरण नटराज सहकारी साख संस्था तफ राजेश विरूद्ध वरूणदीप में अभियुक्त/ निर्णित ऋणी वरूणदीप से 31015 रुपए की वसूली किये जाने के लिए आदेश के अंतर्गत कुर्की वारंट जारी किया गया था। वारंट के पालन में आज्ञप्ति धन की अदायगी नहीं किये जाने पर आदेशिका वाहक गजानंद वर्मा द्वारा चल संपत्ति एक्टिवा एमपी10 एमव्ही-9820 को कुर्क कर अभियुक्त वरूणदीप को सुपुर्दगी पर दी गई थी। कुर्क की गई संपत्ति को अभियुक्त/ सुपुर्दगीगार द्वारा न्यायालय में पेश करने का सूचना पत्र जारी किया गया था, परंतु सूचना पत्र के निर्वाह उपरांत न तो अभियुक्त वरूणदीप उपस्थित हुआ और न ही कुर्क की गई संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त आदेश की अवेहलना में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहित कुमार ने अभियुक्त वरूणदीप को 1 वर्ष सश्रम करावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

राज्यश्री सोनी योगिनी अवार्ड से सम्मानित

खरगोन। जिले की प्रथम योगिनी राज्यश्री सोनी को राज्य स्तरीय योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें भोपाल स्थित मित्तल ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट परिसर में आयोजित एडुजीलाईफ राज्य स्तरीय योगिनी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहदास महाराज मांडवगढ़, इंडस्ट्रीज प्रमुख सुरेंद्र मित्तल ने दिया। समारोह की आयोजक एवं एडुजीलाईफ संस्थापक डॉ. आरएच लता ने बताया कि अब हम योगिनी बहनों को कहीं न कहीं किसी और रोजगार से जोड़ेंगे, इसके लिए एक भारतीय योगीनी

मेघनगर। चक्काजाम करते ग्रामीण। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित पानी।

जांच कर दोषी कारखानों को बंद करने की मांग, एसडीएम की समझाइश के बाद धरना किया खत्म

केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी को लेकर नाराज ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

पीपुल्स संवाददाता • मेघनगर
मो.नं. 9522101111

मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित केमिकलयुक्त कारखानों को लेकर एक बार फिर आसपास के ग्रामीणों का आक्रोश झाबुआ-मेघनगर स्थित गरिया नाले पर चक्काजाम के रूप मे दिखाई दिया। कारखानों को लेकर विरोध करते हुए नारेबाजी की गई। उसके पश्चात धरनास्थल पर कलेक्टर को बुलाने की जिद पर अड़ गए, बाद में एसडीएम की समझाइश पर आवेदन देकर संतुष्ट होना पड़ा।

जानकारी के अनुसार बुधवार को गरिया नाले पर बेडावाली, अगराल, फतीपुरा, अंतरवेलिया, प्रतापपुरा, कलीपुरा आदि ग्रामों से पुरुष व महिला शामिल हुए। हिंदू युवा जनजाति संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने इन केमिकल फैक्ट्रियों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए स्टेट हाईवे मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। चक्काजाम की सूचना मिलते ही मौके पर मेघनगर एसडीएम मुकेश सोनी, एसडीओपी रवींद्र राठी दलबल के मौके पर पहुंचे और नागरिकों को समझाइश दी, लेकिन नाराज नागरिकों ने चक्काजाम खोला नहीं। उनकी मांग है कि औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न केमिकल फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। यदि प्रशासन केमिकल फैक्ट्रियों को बंद नहीं करता है तो यह चक्काजाम अनिश्चितकालीन रहेगा। लोगों ने अधिकारियों की समझाइश की बात पर कहा कि हमारे द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक शिकायतें की गईं लेकिन जांच का आश्वासन देने के बाद कोई कारवाई नहीं होती। हालांकि एसडीएम की समझाइश के 4 घंटे बाद धरना समाप्त कर दिया।

हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपते हुए।

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपे गए आवेदन में मांग की गई कि मेघनगर कारखानों से दूषित लाल और केमिकल युक्त पानी और जहरीले धुएं से परेशान हैं। इससे पालतू पशुओं गाय, भैंस, बकरी एवं अन्य पक्षियों द्वारा पानी के सेवन से गंभीर बीमारियां होती है और कई बार जानवरों की मौत भी हो चुकी है। केमिकल वाले कारखानों से दूषित पानी छोड़ने से जलस्त्रोत भी प्रभावित है। आवेदन में मांग की गई कि जांच कर दोषी कारखानों को बंद किया जाए। चक्काजाम के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

अपशिष्ट पानी छोड़ने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित

मेघनगर में सीईपीटी प्लांट चालू होने के बाद भी कुछ केमिकल प्लांट द्वारा चोरी छुपे नाले में अपशिष्ट पानी छोड़ने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, साथ ही पशु-पक्षी एवं फसलों को भी नुकसान हो रहा है। यह प्रदूषित लाल पानी मेघनगर के पास गारिया पुलिया में आने से ग्रामवासी भड़क उठे। सुबह दस बजे से ये लोग कड़ी धूप में सड़क पर बैठकर खुले में प्रदूषित पानी छोड़ने वाले उद्योगों के खिलाफ तत्काल करवाई करने की मांग को लेकर अड़े रहे।

एंबुलेंस को दिया रास्ता...

नाराज ग्रामीण जब अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। इस दौरान स्टेट हाईवे मार्ग पर एक एंबुलेंस मरीज को लेकर आई, जिसकी सूचना धरना दे रहे नागरिकों को मिली तो उन्होंने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एंबुलेंस को गंतव्य की ओर रवाना किया।

राज्य कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा

झाबुआ। अधिकारियों-कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लेकर मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के लोग ज्ञापन देते समय कलेक्टर कार्यालय प्रांगण पर उपस्थित रहे। कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारी व कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लेकर अभी हमने धैर्य रख रखा है। शासन-प्रशासन हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें, यदि धैर्य खो दिया तो हम आरपार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूरन आंदोलन की राह अपनाने पर विवश हो जाएंगे। संघ के जिला सचिव प्रकाश पालीवाल ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश आह्वान पर प्रदेश संगठन के हेमंत श्रीवास्तव प्रांत अध्यक्ष एवं जितेंद्र सिंह प्रांत महामंत्री, संभाग प्रभारी दीपक पुरोहित, ज़िला संगठन मंत्री महेश जैन के निर्देशानुसार जिला संगठन द्वारा अधिकारी व कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से 25 सूत्री ज्ञापन एवं जिला स्तरीय 6 सूत्री ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ सत्यनारायण दर्रा को सौंपा गया।

झाबुआ। एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए।

शराब ठेकेदार के कर्मचारी ने दी धौंस, एसपी को शिकायत

खरगोन। सीएम हेल्पलाइन पर शराब ठेकेदार की शिकायत करने पर धौंस- दपट देकर शिकायत बंद कराने का मामला सामने आया है। बुधवार को जयस पदाधिकारियों ने एसपी धर्मराज मीना से मुलाकात कर शराब ठेकेदार के कर्मचारी पर जयस पदाधिकारी को सीएम हेल्पलाईन शिकायत वापस लेने के लिए मोबाइल पर गाली-गलौज कर झूठे आरोप में कार्रवाई कराए जाने की धौंस देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस मामले में ऑडियो रिकार्डिंग का हवाला देते हुए भीकनगांव में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक के शराब ठेकेदार को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने के आरोप भी लगाए हैं। एसपी ऑफिस पहुंचे जयस प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष नवल सिंह बोरकर, ठाकुर गुलाब सिंह, प्रेमलाल कजेर्ले, सुनील सिरसाटे आदि ने बताया कि झिरन्या क्षेत्र में जयस पदाधिकारी विकास मोरे ने अवैध रुप से शराब बिक्री करने एवं शराब ठेकेदार द्वारा गुंडागर्दी एवं दादागिरी करने की शिकायत की थी। इस मामले में शराब ठेकेदार के कर्मचारी ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया है।

kotak
कोटक महिन्द्रा बैंक लि.
पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा(ई), मुम्बई-400 051(महा.) कार्पोरेट कार्यालय: कोटक इनफिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, डब्ल्यू.ई. हाइवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097 (महा.) शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, पांचवी मंजिल, मेट्रो टॉवर, विजय नगर, इंदौर म.प्र.-452001

शुद्धिपत्र

यह इस समाचार पत्र में 25/09/2024 को उधारकर्ता मेसर्स अभिनंदन एंटरप्राइजेज के खिलाफ प्रकाशित ई-नीलामी नोटिस विज्ञापन के संदर्भ में है जिसमें नीलामी की तारीख गलती से 17/09/2024 के रूप में प्रकाशित की गई थी, हालांकि सही नीलामी की तारीख 17/10/2024 है। अन्य सभी विवरण समान रहेंगे।

स्थान:-उज्जैन म.प्र.
दिनांक: 26/09/2024
हस्ते/- प्राधिकृत अधिकारी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार (म.प्र.)
फोन : 07292-234702 Email : modgmdha@mp.gov.in
पत्र क्रमांक / 2251 / खनिज / 2024-25 — धार दिनांक 13.09.2024
(म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिए)
प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है, कि आवेदक केन्डीड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रो. संजय पाटीदार निवासी 15 सुन्दरवन कालोनी धार जिला धार म.प्र. के द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईल आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2024 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 20.10.2024 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेगे ।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

सेन समाज ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार संगीता मेहतो को ज्ञापन सौंपा

मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग

पीपुल्स संवाददाता • हरसूद
मो.नं. 9685037165

हरदा जिले के छीपाबड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना से सेन समाज सहित हर वर्ग के लोगों में आक्रोश देखने को मिला रहा है। बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सेन समाज के लोगों ने तहसीलदार संगीता मेहतो को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि मासूम आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। इसमें शामिल व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है। वह पूर्व में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। आरोपी मानसिक रोगी है, जो पूरे समाज के लिए घातक है, उसे कृत्य के लिए फांसी की सजा देना चाहिए। ज्ञापन देते समय शिवनारायण सेन, संतोष सेन, मोलू मालवीय, लोकेश सेन, धनश्याम सेन, विष्णु सेन, नंदकिशोर सेन, माखन मालवीय, अभिषेक जांगरे, प्रफुल्ल सेन, राजेश सेन, मनोज सेन, जगदीश सेन, कमलेश मालवीय, बसंत सेन, हरे राम छलौत्रे, द्वारकाप्रसाद प्रजापति, रेवाराम मालवीय, डॉ. अर्जुन रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में लोगों मौजूद थे।

तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते सेन समाज के लोग।

आरोपी की होगी गिरफ्तारी

हरदा पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि कई जगहों पर पुलिस टीम को भेजकर आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं। अफवाह पर ध्यान न दें। आरोपी से संबंधित कोई जानकारी हो तो स्थानीय पुलिस को सहयोग प्रदान करें। उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि.
LIC HFL LIC HOUSING FINANCE LTD
एरिया ऑफिस आशा दिलपसंद इंपीरियल "अपर ग्राउंड फ्लोर", नगर निगम नं. 6/3 साउथ तुकोगंज, गली नं. 1, हाई कोर्ट की मुख्य सड़क, एमजी रोड, साउथ तुकोगंज, इंदौर (म.प्र.) फोन 0731- 4235259 Mob: 9039059605, Website: www.lichousing.com

मांग सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और सिक्योरिटी इन्ट्रेस्टे एक्ट 2002 की प्रवर्तन की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस) (1) क्रमांक (2) गृह ऋण खाता क्रमांक (3) ऋणी का नाम व पता (4) सम्पत्ति का पता (5) स्वीकृत ऋण राशि एवं दिनांक (6) बकाया राशि क्र .

क्र.	गृह ऋण खाता क्र	ऋणी का नाम व पता	सम्पत्ति का पता	स्वीकृत ऋण दिनांक / स्वीकृत राशि ₹	बकाया राशि ₹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	120400026940	श्री गुरप्रीत सिंह सुश्री कुलजीत कौर (गारंटर) 102 श्री शांति अपार्टमेंट, ए-30 अभिनंदन नगर सुखलिया, इंदौर, म.प्र.	67, श्री कृष्णा प्रीमियम कॉरिडोर, सुपर कॉरिडोर के पास, इंदौर, म.प्र.	29/07/2021 1535000	1367420.79 + ब्याज व अन्य खर्चे
2.	120400003850	श्री संतोष दुबे मकान नं. 146, उत्तरी भाग, श्री कृष्णा पैराडाइज कॉलोनी, राऊ, इंदौर, म.प्र.	मकान नं. 146, उत्तरी भाग, श्री कृष्णा पैराडाइज कॉलोनी, राऊ, इंदौर, म.प्र.	29/08/2012 1910000	577179.24 + ब्याज व अन्य खर्चे
3.	120400011985	श्री अशोक कुमार सुश्री सुधा कुमारी 410, एयरफोर्स स्टेशन, जालाहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक	243, उत्तरी भाग, श्रीकृष्ण पैराडाइज, राऊ बाईपास, एबी रोड, इंदौर, म.प्र.	28/01/2015 1600000	1375997.54 + ब्याज व अन्य खर्चे
4.	120400020199	श्री जगदीश चौकसे श्री आनंद चौकसे सुश्री मीनल चौकसे सुश्री उषा चौकसे बीजी-9, स्कीम नं. 74-सी, विजय नगर, इंदौर, म.प्र.	प्लॉट नं. 07, सुंदर नगर एक्सटेंशन, एमआर-10, सुखलिया, इंदौर, म.प्र.	30/12/2017 7500000	14512776.53 + ब्याज व अन्य खर्चे

महासंघ का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में 31 जिलों की योगिनियों के साथ मीडियाकर्मियों को भी अवार्ड दिए गए।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में जिले के 424 गांव शामिल

खरगोन। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में देश के 63 हजार गांव शामिल किए गए हैं। खरगोन जिले के 9 विकासखंड के 424 ग्रामों को भी इसमें शामिल किया गया है।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	पैकी रकबा हैक्टर में	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
धार	सरदारपुर	खरेली	210/1	4.000	शासकीय भूमि	पत्थर/ गिट्टी एवं एम–सेण्ड	–
			कुल रकबा	4.000			

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदको से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदको के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एंव प्राप्त सभी आवेदन पत्रो को म.प्र. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगे। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एंव द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रो को विचार में नही लिया जाएगा।

जिला खनिज अधिकारी
खनिज शाखा
कार्यालय कलेक्टर जिला धार म.प्र.

जी–16681/24 ''स्वच्छता ही सेवा''

आपके अनुरोध पर हमने आपको गृह ऋण वित्त राशि के रूप में इकरार नामे की शर्तों के अनुसार स्वीकृत की थी। जिनको आपने स्वीकार किया था। (1) स्वीकृत ऋण राशि स्वीकृति दिनांक एवं आपके खाता संख्या का ब्यौरा ऊपर दिया गया है। (2) आपको विदित है कि आपको प्रदत्त ऋण राशि उपरोक्त (कालम नं. 5) आस्ति प्रतिभूति अनुबंध (रक्षित आस्ति) से रक्षित है। इसके लिए आपने आवश्यक दस्तावेज निष्पादन करके प्रतिभुति के रूप में सम्यबंधक किया है। (3) हम आपको यह भी सूचित करते है कि संपूर्ण ऋण अदा करने हेतु बार – बार मांग नोटिस भेजे गए और मौखिक रूप से अनुरोध किए जाने के पश्चात भी अभी तक आपने ऋण अदा नहीं किया है। इस तरह आपने ऋण की अदायगी में गंभीर अनियमितता बरती है। (4) आज दिनांक तक आपको उपरोक्त राशि देय है (कालम नं. 6) 1 (5) ऊपर लिखे कारणों से हम एतद द्वारा आपको सूचित करते हैं कि इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर आप समस्त देय राशियों की भुगतान करें, न करने की स्थिति में हम सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13 (4) की शक्तियों का उपयोग करेंगे। (6) उपरोक्त शक्तियों के अधीन कार्यवाही करने पर प्राप्त धनराशि प्रथमतः समस्त व्यय प्रभार व खर्चे हेतु उपयोग की जावेगी। जो हमारी राय में उचित प्रकार से किए गए है या संबंधित हो एवं इसके पश्चात हमारे शेष जैसा कि उपरोक्त अदित है में दिनांक **30.09.2024** से वसूली की तारीख की संविदा गत हित के निस्तारण में प्रयोग की जावेगी एवं शेष धनराशि (यदि कोई हो तो) आपको भुगतान दिया जायेगा। (7) एक्ट की धारा 13 (13) के अन्तर्गत आगाह करे कि इस नोटिस की प्राप्त के पश्चात आप इस नोटिस के दर्शायी गई किसी भी रक्षित आस्ति का अन्तरण, बिक्री पट्टे के द्वारा रक्षित ऋण दाता की लिखित पूर्ण सहमति के बिना नहीं कर सकेंगे। (8) एक्ट की धारा 13 (10) के अन्तर्गत हम आपको यह भी सूचित करते है कि यदि रक्षित आस्तियों बिक्री से प्राप्त हमारे ऋण की भरपाई नहीं होती है तो हम आपके विरूद्ध ऋण वसूली अधिकरण (DRT) में जाकर शेष धन राशि की वसूली के लिए कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यह मांग नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है।

दिनांक : **26.09.2024**
स्थान : इंदौर

आज्ञा से
प्राधिकृत अधिकारी
एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि.